फोन न0 0612–2219545 (का0)
फैक्स न0–0612–2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

समाहरणालय, पटना।

(शस्त्र शाखा)

–: आदेश :–

19-12-2013

गुलफिशां जबीं, पिता–स्व0 मो0 शमसु, सा0–सकर टोली मोड़, थाना–आलमगंज, जिला–पटना द्वारा एक डी0बी0बी0एल0 गन की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र वर्ष 2009 में समर्पित किया गया। आवेदिका से प्राप्त आवेदन पर विविध शस्त्र वाद सं0–09–239/2009 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर दिनांक–19.12.2013 को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई।

निर्धारित तिथि को आवेदिका का पक्ष सुना गया एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया गया। सुनवाई के क्रम में आवेदिका द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे शांति समिति की सदस्या हैं। उनकी दवा की दुकान है तथा उनका पति जीवित नहीं हैं। तदोपरान्त उनके द्वारा अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक–684/गो0, दिनांक–12.04.2010 द्वारा आवेदिका के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र अधीनस्थ पदाधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अग्रसारित/अनुशंसित किया गया है। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, पटना सिटी द्वारा आवेदिका के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अग्रसारित एवं अनुशंसित किया गया है। थानाध्यक्ष, आलमगंज, पटनासिटी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदिका समाज सेवा एवं व्यवसाय करते हैं। तदोपरान्त आवेदिका के जान–माल के सुरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसके आलोक में थानाध्यक्ष द्वारा आवेदिका को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदिका के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी को प्रतीत होता है कि आवेदिका को अपने जान–माल की सुरक्षा के बिन्दु पर भय/खतरा है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन एवं आवेदिका के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त गुलफिशां जबीं,

पिता–स्व0 मो0 शमसु, सा0–सकर टोली मोड़, थाना–आलमगंज, जिला–पटना को उनके द्वारा अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण बिहार राज्य क्षेत्राधिकार के लिए मान्य एक डी0बी0बी0एल0 गन शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु **स्वीकृति** प्रदान की जाती है।

आवेदिका जबीं को आदेश दिया जाता है कि वे विहित सरकारी शीर्ष में अपेक्षित अनुज्ञप्ति शुल्क कोषागार चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति, पासपोर्ट साईज का दो अभिप्रमाणित फोटो एवं एक सादी अनुज्ञप्ति पुस्त अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत कर शस्त्र पंजी में प्रविष्टि कराने के उपरान्त उक्त अनुज्ञप्ति पुस्त प्राप्त कर लेंगें।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।